कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 26-07-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु नियुक्त उत्तरदायी अधिकारीगण संग की गई बैठक, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

- **सीपी का स्पष्ट निर्देश- सड़कों से हटाये जाये अतिक्रमण**
- **अतिक्रमण हटाने में किसी भी प्रकार की ढील न बरतने की दी गई हिदायत।**
- **अतिक्रमण हटाये जाने के अभियान में सम्बन्धित विभागों व आमजन का ले सहयोग**
- **सड़कों के अतिक्रमण मुक्त होने से जनता को आवागमन की होगी सुविधा**
- **अधिकारीगण को नियमित निरीक्षण करने और अतिक्रमण की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सतर्क रहने के दिये गये निर्देश**
- **चौकी प्रभारी व उप निरीक्षकगण को दी गई हिदायत, अवैध कृत्यों में न हो लिप्त।**

आज दिनांक 26-07-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में सुगम यातायात व्यवस्था एवं सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु चिन्हित मार्गों/स्थानों पर नामित उत्तरदायी अधिकारीगण के साथ गोष्ठी की गई। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री गौरव बंशवाल, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन श्री चन्द्रकान्त मीना, पुलिस उपायुक्त यातायात श्री हृदेश कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन सुश्री नीतू, अपर पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन श्री सरवणन टी., अपर पुलिस उपायुक्त

यातायात श्री राजेश कुमार पाण्डेय सहित सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व उप निरीक्षकगण उपस्थित रहे।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चौकी प्रभारीगण व उप निरीक्षकगण को हिदायत दी गई कि अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी व निष्पक्षता से करें, कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी अवैध कृत्य में लिप्त न हो। मुख्यालय स्तर से टीम गठित कर सभी पुलिसकर्मियों के कार्यों का फीडबैक लिया जा रहा है, अवैध कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर छापेमारी की कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा नामित उत्तरदायी अधिकारी को स्वयं भ्रमणशील रहकर निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :-

- **मार्ग पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न होने पाये।**
- **कोई भी अस्थायी दुकान सड़क को अतिक्रमित करते हुए न लगने पाये।**
- **स्थायी दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के आगे सड़क को अतिक्रमित करते हुए अपने सामानों को सड़क पर न रखा जाये।**
- **दुकानों के सामने किसी प्रकार का ठेला, सब्जी मण्डी आदि न लगने पाये। ठेले व सब्जी मण्डी नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थलों पर लगे।**
- **दुकानों के आगे अथवा सड़क पर या अन्य स्थानों पर किसी प्रकार की अवैध पार्किंग (बस, ट्रक, कार, जीप आदि) न होने पाये।**
- **चौकी प्रभारी व उप निरीक्षकगण को दी गई हिदायत, अवैध कृत्यों में न हो लिप्त।**
- **पुलिसकर्मियों के कार्यों का मुख्यालय स्तर से टीम गठित कर लिया जा रहा फीडबैक, अवैध कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर छापेमारी की कार्यवाही की जायेगी।**

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।